**प्रेस को सूचना नोट [प्रेस विज्ञप्ति संख्या 73/2022]**

तत्काल प्रकाशन के लिए

**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण**

# भादूविप्रा ने प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे में संशोधनों को अधिसूचित किया

**नई दिल्ली, 22 नवंबर 2022:** भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2022 (2022 का 4) और दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का 2) जारी किया।

2. केबल टीवी क्षेत्र के पूर्ण डिजिटलीकरण के अनुरूप, भादूविप्रा ने 3 मार्च 2017 को प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए 'नया विनियामक ढांचा' अधिसूचित किया। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी जांच के पश्चात, नए विनियामक ढांचे को 29 दिसंबर 2018 से लागू किया गया।

3. नए विनियामक ढांचे में कुछ व्यावसायिक नियमों को बदलते ही, कई सकारात्मक बातें सामने आईं । लेकिन नए विनियामक ढांचे 2017 के कार्यान्वयन पर, भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली कुछ कमियों पर ध्यान दिया । नए विनियामक ढांचे के कार्यान्वयन के बाद उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्दों को हल करने के लिए, हितधारकों के साथ किए गए उचित परामर्श प्रक्रिया के पश्चात, भादूविप्रा ने 01.01.2020 को नए विनियामक ढांचे 2020 को अधिसूचित किया ।

4. कुछ हितधारकों ने माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे और केरल सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में टैरिफ संशोधन आदेश 2020, इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020 तथा क्यूओएस संशोधन विनियम 2020 के प्रावधानों को चुनौती दी । माननीय उच्च न्यायालयों ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर नए विनियामक ढांचे 2020 की वैधता को बरकरार रखा ।

5. नेटवर्क कैपेसिटी फीस (एनसीएफ), मल्टी-टीवी होम और नए विनियामक ढांचे 2020 के लंबी अवधि के सब्सक्रिप्शन से संबंधित प्रावधानों को पहले ही लागू कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को उचित लाभ दिए जा रहे हैं। प्रत्येक उपभोक्ता अब अधिकतम एनसीएफ रु. 130/- में 100 चैनलों के बजाय 228 टीवी चैनल प्राप्त कर सकता है। इसने उपभोक्ताओं को 2017 के ढांचे के अनुसार समान संख्या में चैनलों का लाभ उठाने के लिए अपने एनसीएफ को रु. 40/- से रु. 50/- तक कम करने में सक्षम बनाया है। इसके अतिरिक्त, मल्टी-टीवी घरों के लिए संशोधित एनसीएफ ने उपभोक्ताओं के लिए दूसरे (और अधिक) टेलीविजन सेटों पर 60% की अधिक बचत की है।

6. हालांकि, प्रसारकों द्वारा नवंबर, 2021 में दायर किए गए रियो (आरआईओ) के अनुसार, नए टैरिफ एक सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, अर्थात, खेल के चैनलों सहित उनके सबसे लोकप्रिय चैनलों की कीमतों में रु. 19 प्रति माह से अधिक की वृद्धि की गई। पे चैनलों को बुके में शामिल करने के संबंध में मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, ऐसे सभी चैनल जिनकी कीमत रु. 12/- प्रति माह से अधिक है, को बुके से बाहर रखा जाता है और केवल अ-ला-कार्टे आधार पर पेश किया जाता है। दायर किए गए संशोधित रियो लगभग सभी पेश किए जा रहे बुके की संरचना में व्यापक पैमाने पर बदलाव का संकेत देते हैं।

7. नए टैरिफ की घोषणा के तुरंत बाद, भादूविप्रा को डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ), एसोसिएशन ऑफ लोकल केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ) और उपभोक्ता संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए। डीपीओ ने विशेष रूप से प्रसारकों द्वारा घोषित पे चैनलों और बुके की दरों में वृद्धि के कारण सिस्टम में नई दरों को लागू करने और लगभग सभी बुके को प्रभावित करने वाले विकल्पों के सूचित अभ्यास के माध्यम से उपभोक्ताओं को नई टैरिफ व्यवस्था में स्थानांतरित करने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। इसलिए, भादूविप्रा एलसीओ के प्रतिनिधियों सहित सभी विभिन्न संघों और उपभोक्ता समूहों के साथ जुड़ा हुआ है।

8. नए विनियामक ढांचे 2020 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और आगे का रास्ता तय करने के लिए, भादूविप्रा के तत्वावधान में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ), ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) और डीटीएच एसोसिएशन के सदस्यों की एक समिति गठित की गई थी।

9. समिति का उद्देश्य टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के सुचारू कार्यान्वयन के लिए परस्पर सहमत तरीकों पर कार्य करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच चर्चा की सुविधा प्रदान करना था। हितधारकों को एक कार्यान्वयन योजना के साथ आने की सलाह दी गई जहां उपभोक्ताओं को नए विनियामक ढांचे 2020 को लागू करते समय न्यूनतम व्यवधान और बाधाओं का सामना करना पड़े।

10. समिति ने विचार के लिए नए विनियामक ढांचे 2020 से संबंधित कई मुद्दों को सूचीबद्ध किया। हालाँकि, हितधारकों ने भादूविप्रा से उन महत्वपूर्ण मुद्दों को तुरंत दूर करने का अनुरोध किया जो टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के सुचारू कार्यान्वयन के लिए बाधाएं पैदा कर सकते हैं।

11. हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गए मुद्दों को हल करने के लिए; भादूविप्रा ने नए विनियामक ढांचे 2020 के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए लंबित बिंदुओं / मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणी मांगने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्रों द्वारा बुके के निर्माण में दी गई छूट, बुके में शामिल करने के लिए चैनलों की अधिकतम कीमत और वितरण शुल्क के अलावा डीपीओ को प्रसारकों द्वारा दी जाने वाली छूट से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए।

12. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ आदेश 2017 और इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क) टीवी चैनलों की एमआरपी पर ढील जारी रहेगी

ख) केवल उन्हीं चैनलों को बुके का हिस्सा बनने की अनुमति दी जाएगी, जिनकी एमआरपी रु.19/- या उससे कम है।

ग) एक ब्रॉडकास्टर अपने पे चैनलों के बुके का मूल्य निर्धारण करते समय उस बुके के सभी पे चैनलों के एमआरपी के योग पर अधिकतम 45 % छूट की पेशकश कर सकता है।

घ) किसी प्रसारक द्वारा किसी पे चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली छूट - अ-ला-कार्टे और बुके दोनों में उस चैनल की सदस्यता पर आधारित होगी।

13. सभी प्रसारक 16 दिसंबर 2022 तक नाम, प्रकृति, भाषा, चैनलों के प्रति माह एमआरपी, और चैनलों के बुके की संरचना और एमआरपी में किसी भी बदलाव के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे और साथ ही ऐसी सूचनाओं को अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करेंगे। जिन प्रसारकों ने नए विनियामक

ढांचे 2020 के अनुपालन में अपने रियो को पहले ही जमा कर दिया है, वे भी 16 दिसंबर 2022 तक अपने रियो को संशोधित कर सकते हैं।

14. सभी डीपीओ 1 जनवरी 2023 तक, पे चैनलों के डीआरपी और पे चैनलों के बुके, और पे और एफटीए चैनलों के बुके की संरचना को प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे और साथ ही ऐसी जानकारी को अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करेंगे। डीपीओ जिन्होंने नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुपालन में अपने रियो को पहले ही जमा कर दिया है, वे भी 1 जनवरी 2023 तक अपने रियो को संशोधित कर सकते हैं।

15. इसके अलावा, टेलीविजन चैनलों के सभी वितरक यह सुनिश्चित करेंगे कि 01 फरवरी 2023 से ग्राहकों को सेवाएं उनके द्वारा चुने गए बुके या चैनलों के अनुसार प्रदान की जाएं।

16. वर्तमान संशोधनों में भादूविप्रा ने केवल उन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया, जो टैरिफ संशोधन आदेश 2020 को लागू करते समय उपभोक्ताओं को असुविधा से बचाने के लिए हितधारक समिति द्वारा सुझाए गए थे। हितधारकों की समिति ने अन्य मुद्दों को भी सूचीबद्ध किया जिन पर बाद में भादूविप्रा द्वारा विचार किया जाएगा। इसके अलावा, प्राधिकरण ने एलसीओ के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं, जिसमें एक ऑनलाइन बैठक में देश भर से 200 से अधिक एलसीओ ने भाग लिया। इन बैठकों के दौरान कई मुद्दे रखे गए। भादूविप्रा ने सुझावों को नोट कर लिया है और आवश्यक परिस्थिति आने पर आगामी मुद्दों के समाधान के लिए और भी उपयुक्त कदम उठा सकता है।

17. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए,श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष सं. +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

वी. रघुनंदन

**(वी. रघुनंदन)**
**सचिव, भादूविप्रा**